कोल इंडिया लिमिटेड व अन्य

बनाम

सरोज कुमार मिश्रा

अप्रैल 17,2007

[एस.बी. सिन्हा और मार्कंडेय काटजू, जे.जे.]

सेवा कानून-पदोन्नति-सरकारी कंपनी के कर्मचारीगण पदोन्नति से इनकार किया गया क्योंकि उनके खिलाफ सतर्कता का मामला लंबित था-कर्मचारियों द्वारा यह प्रार्थना करते हुए रिट याचिका पेश की गई कि उन्हें उस दिनांक से काल्पनिक पदोन्नति दी जाये, जिस दिनांक से उनके कनिष्ठों को पदोन्नत किया गया-उच्च न्यायालय ने इस तरह पदोन्नति को अनुमति देने वाले कार्यालय ज्ञापनों को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें काल्पनिक पदोन्नति का हकदार ठहराया-अपील में अभिनिर्धारित किया गयाः कर्मचारीगण उस काल्पिनक पदोन्नति के हकदार थे जैसा उन्होंने क्लेम किया था-नियमों में यह प्रावधान नहीं है कि मात्र इस आधार पर कि किसी अधिकारी के विरूध कुछ आक्षेप लगाए गए हैं, उसे उसके पदोन्नति के अधिकार से रोका जाना न्यायसंगत होगा- पदोन्नति के अधिकार को केवल वैध नियमों के संदर्भ में ही स्थगित रखा जा सकता है-नियोक्ता के राज्य होने के नाते उसकी कार्रवाई को तर्कसंगतता और निष्पक्षता के मानदंडों की कसौटी को पूरा करना चाहिए -भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 12,14 और 16।

क़ानूनों/नियमों का निर्वचन-जब एक कर्मचारी के मूल्यवान अधिकार पर सवाल उठाया जाता है, तो उस क्षेत्र में प्रभावशील नियमों का अर्थ संवैधानिक योजना के आलोक में लगाया जाना चाहिए।

उत्तरदाता एक सरकारी कंपनी के कर्मचारीगण थे। अपीलकर्ता-कंपनी नियोक्ता-कंपनी की होल्डिंग कंपनी थी। उत्तरदाताओं के नाम पदोन्नति के लिए डीपीसी द्वारा अनुशंसित किए गए थे, परंतु उन्हें उनके विरुध सतर्कता मामले लंबित होने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए पदोन्नत नहीं किया गया। उत्तरदाताओं के कनिष्ठों को पदोन्नत किया गया। उत्तरदाताओं ने रिट याचिका पेश कर यह प्रार्थना की कि उन्हें उनके कनिष्ठों के पदोन्नति की दिनांक से काल्पनिक पदोन्नति दी जाये। रिट याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान आरोप पत्र जारी किए गए, अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की गई और सजा अधिरोपित की गई है ।

उच्च न्यायालय ने दिनांक 19/27 जून, 1979 और 8 जनवरी, 1981 के कार्यालय ज्ञापनों पर भरोसा करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि जब एक बार उत्तरदाताओं को डीपीसी की अनुशंसाओं का लाभ उन्हें पदोन्नति देकर दिया गया तो वे उसी दिनांक से काल्पनिक पदोन्नति के हकदार थे, जिस दिनांक को उनके कनिष्ठों को पदोन्नति दी गई। इसलिए यह अपील पेश की गई।

अपील खारिज करते हुए अदालत ने यह अभिनिर्धारित कियाः

1. आक्षेपित निर्णयों में कोई त्रुटि नहीं है। प्रथम अपीलार्थी व नियोक्ता कंपनी दोनों भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत 'राज्य' हैं। इसलिए उनके कार्यों को तर्कसंगतता और निष्पक्षता की कसौटी का मापदंड पूरा करना चाहिए। यद्यपि एक राज्य का एक कर्मचारी अधिकारपूर्वक उच्च पद पर पदोन्नति का हकदार नहीं है, इसलिए वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के परिप्रेक्ष्य में विचार किये जाने का हकदार है। पदोन्नति के अधिकार को केवल वैध नियमों के परिप्रेक्ष्य में ही रोका या स्थगित रखा जा सकता है। क्षेत्र में प्रभावशील नियम यह नहीं बताते कि मात्र इस आधार पर कि कंपनी के किसी अधिकारी के विरुध आक्षेप लगाए गए हैं, यह स्वतः ही एक कर्मचारी

को पदोन्नति के मूल्यवान अधिकार से दूर रखा जाना न्यायसंगत होगा। जब इस प्रकृति का कोई प्रश्न किसी उच्चतर न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आता है, तो इस क्षेत्र में काम करने वाले मौजूदा नियमों को अनिवार्य रूप से समता की संवैधानिक योजना के आलोक में समझा जाना चाहिए। [पैरा 25 और 10] [241-जी; 238-ए, बी, सी]

मध्य प्रदेश राज्य बनाम श्रीकांत चाफेकर, [1992] 4 एस.सी.सी. 689,

केरल राज्य और अन्य बनाम एन. एम. थॉमस और अन्य, ए.आई.आर. [1976] एससी 490; ई.वी. चिन्नायाह बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य, [2005] 1 एस.सी.सी. 394; भगवानदास तिवारी और अन्य बनाम वी. देवास शाजापुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अन्य, (2006) 11 स्केल 593 और बी. वी. शिवैया और अन्य बनाम के. अडांकी बाबू और अन्य वगैराह, [1998] 6 एस.सी.सी. 720, संदर्भित।

2. यह अपीलार्थियों का मामला नहीं है कि उनके अनुसरण में या आगे बढ़ते हुए सतर्कता विभाग द्वारा प्राप्त शिकायत के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी को इस बात का संतोष हुआ था कि उक्त परिपत्रों के संदर्भ में आवश्यक है कि उस ओर से या अन्यथा की गई प्रारंभिक जांच के आधार पर आरोप पत्र जारी किए जाने की संभावना है। एक विभागीय कार्यवाही को आम तौर पर केवल तभी शुरू किया जाता है जब आरोप पत्र जारी किया जाता है।[239-जी; 240-ए; 241-डी] [पैरा 13 और 21]

3. अपीलार्थियों द्वारा जारी ये परिपत्र एक कर्मचारी के मूल्यवान अधिकारों पर प्रतिबंध लगाते हैं। अतः इनका कठोरता से अर्थ लगाया जाना आवश्यक है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि इनमें वर्णित पूर्ववर्ती शर्तों को इस संबंध में किसी कार्यवाही से पूर्व पूरा किया जाना चाहिए।[पैरा 14][240-ए, बी]

4. मात्र इस आधार पर कि इस प्रकार पदोन्नति देने से फ्लडगेट लिटीगेशन बढ़ने की संभावना हैं, एक नागरिक को उसके पदोन्नति के मूल्यवान अधिकार से दूर नहीं रखा जा सकता। इस तरह की पदोन्नति के बावजूद यदि अपचारी कर्मचारी को सजा दी जाती है तो उसके आधार पर बाद में उचित कदम उठाए जा सकते हैं। [पैरा 22 और 24] [241-डी, ई, एफ]

ज़ी टेलीफिल्म्स लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, [2005] 4 एससीसी 649 और गुरुवायूर देवस्वम प्रबंध समिति और अन्य बनाम सी. के. राजन और अन्य, [2003] 7 एस.सी.सी. 546, संदर्भित।

सिविल अपीलेट न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 1997/2007

उड़ीसा उच्च न्यायालय के ओ.जे.सी. नंबर 2002 का 2760 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 12.04.2006

के साथ

सी.ए. नंबर 1998/2007।

अजीत कुमार सिन्हा, अमिताभ और जी.पी. पांडे वास्ते अपीलार्थी।

जनार्दन दास और श्वेतकेतु मिश्रा वास्ते उत्तरदाता।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति एस.बी. सिन्हा के द्वारा दिया गया।

1. अनुमति दी गई।

2. इन दोनों अपीलों का जिनमें कानून व तथ्यों के समान प्रश्न सम्मिलित था सुनवाई के लिए एकसाथ ली गई और इस कॉमन निर्णय द्वारा दोनों का निस्तारण किया जा रहा है।

3. उत्तरदातागण महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, धारा 617 कंपनी अधिनियम के अंतर्गत सरकारी कंपनी के कर्मचारीगण थे। कोल इंडिया लिमिटेड स्वीकृत रूप से महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी है, ने अपने कार्यकारी अधिकारियों के सेवा संबंधी नियमों और शर्तों को निर्धारित करते हुए नियम बनाए। अपीलार्थी संख्या 1 के कार्यकारी संवर्ग के अधिकारियों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिनके नाम ग्रेड ई/1 से ग्रेड ई/8 है। निर्विवाद रूप से, ए/3 से ए/4 ग्रेड तक की पदोन्नति वरिष्ठता-सह-योग्यता के नियम द्वारा शासित होती है। ग्रेड ई/3 से ई/4 तक योग्य अधिकारियों की पदोन्नति के मामलों पर विचार करने के उद्देश्य से, एक विभागीय पदोन्नति समिति ने अप्रैल-मई, 1999 में अपनी बैठक आयोजित की।

4. उत्तरदाताओं को अन्य बातों के साथ इस आधार पर पदोन्नत नहीं किया गया था कि महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के महाप्रबंधक (सतर्कता) ने संबंधित प्राधिकारी को सूचित किया कि उनके खिलाफ सतर्कता मामले लंबित हैं। उन अधिकारियों के पक्ष में पदोन्नति के आदेश जारी किए गए जो स्वीकृत रूप से दिनांक 31.08.1999 को उनसे तत्काल कनिष्ठ थे। जब उन्हें ज्ञापन देने के बावजूद भी उनके विरूध सतर्कता मामले लंबित होने के आधार पर पदोन्नत नहीं किया तब उन्होने उड़ीसा उच्च न्यायालय में यह प्रार्थना करते हुए रिट याचिका पेश की कि उन्हें उस दिनांक से काल्पनिक पदोन्नति दी जाये जिस दिनांक से उनके कनिष्ठों को पदोन्नति दी गई।

5. जून, 2002 में रिट याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान, आरोप पत्र जारी किए गए और एक अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ होने पर, जुलाई, 2003 में

उत्तरदाताओं पर संचयी प्रभाव के बिना एक वर्ष की अवधि के लिए एक स्टेज तक वेतन में कमी का जुर्माना लगाया गया।

6. अपीलार्थीगण ने उड़ीसा उच्च न्यायालय व इस न्यायालय के समक्ष कार्यालय ज्ञापन दिनांकित 19/27 जून 1979 पेश किया। उक्त कार्यालय ज्ञापन एवं पश्चातवर्ती ज्ञापनों जिनमें विशेष रूप से ज्ञापन दिनांकित 08.01.1981 पर विचार करते हुए उच्च न्यायालय ने अभिनिधार्रित किया किः

> **"15** इस मामले की संपूर्ण फैक्चूअल मैट्रिक्स पर विचार करने और विभिन्न मामलों में शीर्ष अदालत द्वारा रेशियो अभिनिर्धारित करने को दृष्टिगत रखते हुए जहां तक वर्तमान याचिकाकर्ता का प्रश्न है तो भारत संघ बनाम के वी जानकी रमन एवं भारत संघ बनाम डॉ (श्रीमती) सुधा सल्हान के मामले में अभिनिर्धारित रेशियो का अनुकरण करना होगा और दहेली डेवलपमेंट ऑथोरिटी बनाम एचसी खुराना एआईआर (1993) एससी 1488, भारत संघ बनाम केवल कुमार एआईआर (1993) एससी 1585 एवं भारत संघ बनाम और एस शर्मा एआईआर (1993) एससी 2337 के मामले में संबंधित कर्मचारीगण वर्तमान याचिकाकर्ता से अलग स्थिति में होने से इन मामलों में निर्णीत रेशियो को वर्तमान याचिकाकर्ता के मामले में लागू नहीं किया जा सकता और एस शर्मा के केस में प्राधिकरण का सील्ड कवर खोलने का निर्देश देने और डीपीसी द्वारा चार्ज मेमो की अदम तामिल के आधार पर की गई अनुशंसाओं को लागू करने का आदेश यह दृष्टिगत रखते हुए अपास्त किया गया कि परिवर्तनशील नियमों/परिपत्रो/ओएम विशेष रूप से ओएम के खण्ड (iv), जिसमें यह बताया गया कि भ्रष्टाचार, रिश्वत और इसी तरह के गंभीर

कदाचार के लंबित रहते या सीबीआई या अन्य एजेन्सी, विभागीय ओर अन्य प्रकार से जांच लंबित रहते सील्ड कवर प्रोसीजर, सभी प्रकार की कार्यवाही समाप्त होने तक रिस्टोर किया जा सकता है, परंतु इस केस में एमसीए/कोल इंडिया ने एम/परिपत्र/नियमों के आधार पर सील्ड कवर खोले और याचिकाकर्ता को अगली उच्चतर ग्रेड (ग्रेड 4) में पदोन्नत किया गया। चूंकि तथाकथित अनुसंधान उस दिनांक से दो वर्ष के भीतर पूरा नहीं किया गया, जिस दिनांक को याचिकाकर्ता के तत्काल कनिष्ठ को पदोन्नत किया गया। यह विशिष्ठ कायार्लय ज्ञापन इस आशय से जारी किया हुआ हो सकता है कि एक कर्मचारी के विरुद्ध लगाए गए कतिपय आक्षेपों की जांच दो वर्ष से अधिक अवधि में भी पूरी नहीं होने के तथ्य की जांच की जाए ताकि संबंधित कर्मचारी का शोषण नहीं हो या उसे डी.पी.सी. की अनुशंसाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए अनिश्चित/लंबी अवधि तक इस जांच के लंबित रहने के, चार्ज मेमों की तामील होने के पश्चात विभागीय कार्यवाही के प्रारंभ न होने के आधार पर वंचित न रखा जा सके। यद्यपि एक बाद सील्ड कवर खोल दिये गए और याचिकाकर्ता को डीपीसी की अनुशंसा का लाभ देते हुए अगली उच्चतर ग्रेड में पदोन्नत किया गया, वह उन सभी परिणामी लाभों का हकदार उस दिनांक से होगा, जिससे उसके तत्काल कनिष्ठ को लाभ मिले। इस मामले में याचिकाकर्ता न तो तथाकथित प्राथमिक जांच के दौरान, न ही विभागीय जांच के दौरान निलंबित रहा। ऐसी स्थिति में वह उस दिनांक से पदोन्नति का हकदार होगा, जिस दिनांक को उसके तत्काल कनिष्ठ को सेवा व वित्तीय लाभ प्राप्त हुआ।"

उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर रिट याचिकाएं स्वीकार की गई।

7. श्री अजीत कुमार सिन्हा, विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने हमारा ध्यान उक्त ज्ञापन दिनांकित 27.06.1979 की तरफ आकर्षित किया और निवेदन किया कि किसी अधिकारी के विरूध सतर्कता या विभागीय कार्यवाही का लंबित रहना अपने आप में उसे पदोन्नत नहीं करने के लिए पर्याप्त है, जो यदि उसके संपूर्ण हक को बहाल कर पदोन्नत किया जाता तो उसकी पदोन्नति उसके तुरंत बाद कनिष्ठ के पदोन्नति की दिनांक से पूर्व होती, आक्षेपित निर्णय स्थिर नहीं रह सकता। श्री सिन्हा ने यह निवेदन किया कि उच्च न्यायालय ने इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होने वाली सील्ड कवर प्रक्रिया को लागू कर भारी त्रुटि की है। यदि आक्षेपित निर्णय बहाल रखा जाता है तो इससे फ्लडगेट लिटिगेशन बढ़ने की संभावना है। अपने कथनों के समर्थन में श्री सिन्हा ने मनोज कुमार सिंह बनाम द कोल इंडिया लिमिटेड व अन्य सिविल अपील नंबर 17/2005 निर्णित 02.01.2006 व मध्यप्रदेश राज्य बनाम श्रीकांत छापेकर [1992] 4 एस.सी.सी. 689] का अवलंबन लिया।

8. श्री जनार्दन दास, विद्वान अधिवक्ता उत्तरदाता ने दूसरी ओर उच्च न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया।

9. इस मामले की तथ्यात्मक मैट्रिक्स विवादरहित होने के कारण हमारे विचारण के लिए कार्यालय ज्ञापन दिनांकित 27.06.1979 व 08.01.1979 की व्याख्या का केवल एक प्रश्न आता है।

10. प्रथम अपीलार्थी व नियोक्ता कंपनी दोनों भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत 'राज्य' हैं। इसलिए उनके कार्यों को तर्कसंगतता और निष्पक्षता की कसौटी का मापदंड पूरा करना चाहिए। यद्यपि एक राज्य का एक कर्मचारी अधिकारपूर्वक उच्च पद पर पदोन्नति का हकदार नहीं है, इसलिए वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के परिप्रेक्ष्य में विचार किये जाने का हकदार है। पदोन्नति के अधिकार को केवल वैध

नियमों के परिप्रेक्ष्य में ही रोका या स्थगित रखा जा सकता है। क्षेत्र में प्रभावशील नियम यह नहीं बताते कि मात्र इस आधार पर कि कंपनी के किसी अधिकारी के विरुध आक्षेप लगाए गए हैं, यह स्वतः ही एक कर्मचारी को पदोन्नति के मूल्यवान अधिकार से दूर रखा जाना न्यायसंगत होगा। जब इस प्रकृति का कोई प्रश्न किसी उच्चतर न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आता है, तो इस क्षेत्र में काम करने वाले मौजूदा नियमों को अनिवार्य रूप से समता की संवैधानिक योजना के आलोक में समझा जाना चाहिए।

11. कार्यालय ज्ञापन दिनांकित 19/27 जून 1981 इस प्रकार हैः

"किसी अधिकारी के जो निलम्बन के अधीन रखा गया और/या उसके विरूद्ध सतर्कता/विभागीय कार्यवाही लंबित है, कुछ समय गुजरने के बाद प्रबंधन का ध्यान आकर्षित करता है, के पदोन्नति के संबंध में विवाद के बारे में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। नियमों और भारत सरकार के इस संबंध में जारी आदेशों पर विचार के पश्चात निम्नलिखित आदेश किया जाता है-

(क) पदोन्नति के सभी आदेश सतर्कता मंजूरी के बाद जारी किए जाएंगे।

(ख) ....

(ग) जब एक अधिकारी पूर्णरूप से बहाल कर दिया जाता है और वह तद्नुसार पदोन्नत किया जाता है तो उसकी वरिष्ठता ऐसे निर्धारित की जाएगी, जैसे वह उसकी चयन सूची में उसे आवंटित पॉजीशन के अनुसार पदोन्नत किया गया। आगामी उच्चतम ग्रेड में पदोन्नति के लिए योग्यता की अवधि उस दिनांक के संदर्भ में माननी चाहिए, जिसको

उसका तत्काल कनिष्ठ पदोन्नत हुआ। इस प्रकार के कार्यकारी की पदोन्नति पर उसका वेतन काल्पनिक रूप से उसे उस अवधि को गिनते हुए जिस दौरान वह अधिकारी उसके निलंबन और/या विभागीय जांच के लंबित अवधि को गिनते हुए उच्चतर ग्रेड में वेतन वृद्धि देते हुए नियत की जाएगी, परंतु उसे कोई एरियर स्वीकार्य नहीं होगा।(नं सी-5(ए)/50972(खंड 1) बिंदु/1507 दिनांक 10.07.1979 के अनुसार सही किया गया)''

यद्यपि उक्त कार्यालय ज्ञापन को पश्चातवर्ती ज्ञापन दिनांकित 08.01.1981 द्वारा स्पष्ट किया गया, जिसमें यह प्रतिपादित किया गया-

"ऊपर उद्धत सीआईएलओएम संख्या में यह प्रतिपादित किया गया कि पदोन्नति के सभी आदेश सतर्कता मंजूरी के बाद ही जारी किए जाएंगे। वह स्टेज, जहां सीआईएल और इसकी सहायक के कर्मचारियों के प्रमोशन, स्थायीकरण वगैरह को सतर्कता जांच प्रभावित करती है, स्पष्ट रूप से उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन में परिभाषित नहीं है। सतर्कता जांचें पूरा होने में पर्याप्त समय लेती है और इस बिंदू के संबंध की ऐसी जांचें किसी अधिकारी के पदोन्नति में आड़े आती है, पर स्पष्ट निर्देश के अभाव में इस बिंदु पर उलझन की स्थिति पैदा होने की संभावना है। यह तथ्य पिछले कुछ समय से प्रबंधन का ध्यान आकर्षित कर रहा है। भारत सरकार के इस संबंध में जारी आदेशों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित निर्णय लिया जाता है।

"पदोन्नति के सभी आदेश सतर्कता मंजूरी के बाद ही जारी किए जाएंगे। यद्यपि सतर्कता मंजूरी मात्र इस आधार पर नहीं रोकी जाएगी कि

सीबीऔई द्वारा अधिकारी के विरूद्ध पीई या आरसी दर्ज की गई है या विभाग द्वारा शिकायतों के आधार पर प्राथमिक जांच की जा रही है, परंतु अधिकारी के प्रथमदृष्टया दोषी होने के निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा गया है। सतर्कता मंजूरी केवल तभी रोकी जाएगी जबः

(1) सीबीआई या विभागीय एजेंसी द्वारा प्राथमिक जांच के मामले में सक्षम प्राधिकारी अनुसंधान के परिणाम पर विचार के पश्चात यह राय बनाये कि विभागीय कार्यवाही के लिए विशिष्ठ आरोपों पर चार्जशीट जारी हो सकती है और

(2) नियमित केस के संबंध में सक्षम प्राधिकारी न्यायालय में अधिकारी के अभियोजन की स्वीकृति का निर्णय कर चुके हो।

12. जब तक सक्षम प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे, तब तक अधिकारी को पदोन्नति स्थायीकरण वगैरह समान रूप से ट्रीट किया जाएगा।"

उपरोक्त निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।''

13. यह अपीलार्थियों का मामला नहीं है कि उनके अनुसरण में या आगे बढ़ते हुए सतर्कता विभाग द्वारा प्राप्त शिकायत के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी को इस बात का संतोष हुआ था कि उक्त परिपत्रों के संदर्भ में आवश्यक है कि उस ओर से या अन्यथा की गई प्रारंभिक जांच के आधार पर आरोप पत्र जारी किए जाने की संभावना है।

14. अपीलार्थियों द्वारा जारी ये परिपत्र एक कर्मचारी के मूल्यवान अधिकारों पर प्रतिबंध लगाते हैं। अतः इनका कठोरता से अर्थ लगाया जाना आवश्यक है। इसमें कोई

संदेह नहीं हो सकता कि इनमें वर्णित पूर्ववर्ती शर्तों को इस संबंध में किसी कार्यवाही से पूर्व पूरा किया जाना चाहिए।

15. हम यह भी देख सकते हैं कि 14.05.2002 को या उसके लगभग एक संशोधित दिशानिर्देश भी जारी किया गया था जिसमें यह कहा गया था;

> "सतर्कता मंजूरी केवल निम्न आधार पर ही रोकी जाएगी (क) जब अधिकारी निलंबित हो (ख) जब अधिकारी, जिसके विरूध आरोप पत्र जारी किया गया है और अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित हैं; और (ग) जब अधिकारी के विरूध आपराधिक आरोप का अभियोग लंबित है"।

16. उक्त परिपत्र हालांकि इस मामले में स्पष्ट रूप से लागू नहीं है,।

17. श्री सिन्हा द्वारा मनोज कुमार सिंह (उपरोक्त) पर लिया गया अवलंबन पूरी तरह से गलत है। उसमें कोई कानून प्रतिपादित नहीं किया गया था। इसमें कोई रेसियो डिसिडेंडी नहीं है। इस प्रश्न पर कि किसी आरोप पत्र के अभाव में या अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा बिना किसी न्यूनतम संतुष्टि के यह मानना कि किसी कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही हेतु प्रथमदृष्टया मामला बनना पाया जाता है, सतर्कता मंजूरी दी जा सकती है या नहीं, पर उक्त निर्णय में विचार नहीं किया गया। कोई विवाद्यक इस संबंध में विरचित नहीं किया गया, न ही कोई तर्क प्रस्तुत किये गये, न ही उक्त् आदेश के समर्थन में कोई कारण दिया गया। इस न्यायालय ने मात्र यह कथन किया कि-

> "इस मामले में अपीलार्थी के विरूद्ध कार्यवाही करने का निर्णय 20.01.99 को लिया गया। इसलिए अपीलार्थी को सतर्कता मंजूरी नहीं दी जा सकी। इन परिस्थितियों में हमारे पास कोई कारण नहीं है कि आक्षेपित आदेश

में परिवर्तन करे। तद्नुसार अपील खारिज की जाती है। कोस्ट के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।"

18. यह आश्चर्य की बात है कि यद्यपि अपीलार्थी भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ में एक 'राज्य' है, यह इस न्यायालय के लिए निष्पक्ष होने में भी विफल रहा क्योंकि पश्चातवर्ती कार्यालय ज्ञापन दिनांक 8.1.1981 और/या 14.5.2002 को न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया गया था। यदि पश्चातवर्ती कार्यालय ज्ञापन और विशेष रूप से दिनांकित 8.1.1981 का ज्ञापन न्यायालय के संज्ञान में लाया जाता तो हमारे मस्तिष्क में कोई शंका नहीं होती कि मनोज कुमार सिंह (उपरोक्त) में पारित निर्णय अलग ही होता।

19. इसी तरह, श्रीकांत चाफेकर (उपरोक्त) पर निर्भरता रखने में श्री सिन्हा गलत हैं। इसमें एक विभागीय पदोन्नति समिति ने संबंधित कर्मचारी के खिलाफ की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विचार किया। इस मामले में विभागीय पदोन्नति उत्तरदाताओं के मामले पर विचार नहीं किया। वे निर्विवाद रूप से वरिष्ठता-सह-योग्यता के नियम को ध्यान में रखते हुए पदोन्नति के लिए विचार किये जाने के हकदार थे। हालाँकि, उक्त नियम में, योग्यता की कुछ भूमिका है, लेकिन पदोन्नति केवल योग्यता पर आधारित नहीं होती।

20. केरल राज्य और अन्य बनाम एन. एम. थॉमस और अन्य, ए.आई.आर. [1976] एससी 490; ई. वी. चिन्नायाह बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य, [2005] 1 एस.सी.सी. 394; भगवानदास तिवारी और अन्य बनाम वी. देवास शाजापुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अन्य, (2006) 11 स्केल 593 और बी. वी. शिवैया और अन्य बनाम के. अडांकी बाबू और अन्य वगैराह, [1998] 6 एस.सी.सी. 720।

21. विभागीय कार्यवाही आम तौर पर केवल तब प्रारंभ की जाती है, जब आरोप पत्र जारी किया जाता है।

22. फ्लडगेट तर्क भी हमें आकर्षित नहीं करता है। यह हताशा का तर्क प्रतीत होता है। केवल इसलिए कि फ्लडगेट मुकदमे की संभावना है, किसी नागरिक के मूल्यवान अधिकार को छीनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह न्यायालय पक्षकारों के संबंधित अधिकारों को निर्धारित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

23. ज़ी टेलीफिल्म्स लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, [2005] 4 एससीसी 649 और गुरुवायूर देवस्वम प्रबंध समिति और अन्य बनाम सी. के. राजन और अन्य, [2003] 7 एस.सी.सी. 546।

24. यहां तक कि ऐसे मामले में भी नियोक्ता असहाय स्थिति में नहीं है। इस तरह की पदोन्नति के बावजूद यदि अपचारी कर्मचारी को सजा दी जाती है तो उसके आधार पर बाद में उचित कदम उठाए जा सकते हैं।

25. परिणामस्वरूप, हमारी राय में आक्षेपित निर्णयों में कोई त्रुटि नहीं है। यह अपीलें पूरी तरह से गुणहीन होने के कारण कोस्ट पर खारिज की जाती है। अधिवक्तागण की फीस 50,000 रूपये अभिनिर्धारित की जाती हैं।

के.के.टी. अपीलें खारिज की गई

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी डॉ विमल व्यास (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।